सन् 1919 का अधिनियम और उसकी विशेषताएँ

भारत सचिव मोन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को लोकसभा में अपनी प्रसिद्ध घोषणा की जिसे अगस्त घोषणा कहते हैं। इस घोषणा में कहा गया कि "सम्राट सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन-प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली भारत में स्थापित हो और ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के रूप में रहे। उन्होंने यह तय कर लिया कि इस दिशा में जितना शीघ्र हो ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया जाए। इसने कहा कि इस दिशा में इस नीति में प्रगति क्रमशः ही होगी। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार इस बात का निर्णय करेगी कि कब और कैसे कदम आगे बढ़ाया जाए। मोन्टफोर्ड रिपोर्ट में इस घोषणा को युगान्तकारी कहा गया है" और एक नए युग का आरंभ।

मोन्टेग्यू - चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

PAGE
DATE

मोन्टेग्यू - चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

1918 में उसने सुधार संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसे मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं।

इस रिपोर्ट में सुधार-सम्बन्धी निम्नलिखित दस सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया —

(1) जहाँ तक संभव हो सके स्थानीय संस्थाओं पर जनता के निर्वाचन प्रतिनिधियों का पूर्ण नियंत्रण हो और उन्हें सरकारी नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता हो।

2) प्रांतों में तुरंत उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कदम उठाया जाए। कुछ उत्तरदायी तुरंत दे दिया जाए और पूर्ण उत्तरदायित्व जैसे ही परिस्थिति अनुकूल हो सौंप दी जाए।

3) भारत-सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो लेकिन अनिवार्य विषयों में उसकी शक्ति सर्वोपरि हो।

4) केन्द्रीय भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों पर से संसद और भारत सचिव के नियंत्रण को कम किया जाए।

सन् 1919 के अधिनियम की विशेषताएँ

मोन्टेग्यू रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने सन् 1919 में भारतीय प्रशासन के लिए एक नया विधान बनाया जो 1921 में कार्यान्वित किया गया। इस विधान को सन् 1919 का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं।

1919 ई० के अधिनियम की विशेषताएँ

(क) 1919 के अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रान्त, उड़ीसा, मध्य प्रान्त, असम तथा बर्मा गवर्नर के अधीनस्थ प्रांत घोषित कर दिए गए एवं इनकी शासन प्रणाली भी एक ही तरह की।

(ख) उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश, बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मुख्यायुक्त के अधीन रखे गए।

(ग) - गृह-सरकार में परिवर्तन लाया गया।

(घ) केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया।

(ङ) केन्द्रीय व्यवस्थापिका संगठन में मौलिक परिवर्तन,

(च) प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई।

गृह सरकार में परिवर्तन –

गृह सरकार के अन्तर्गत सम्राट, मंत्रीमंडल, संसद, भारत-सचिव और उसकी कौंसिल है इसका महत्वपूर्ण अंग भारत सचिव था। भारत सरकार के विधायी, आर्थिक तथा प्रशासकीय मामलों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। उसकी सहायता के लिए इंडिया कौंसिल थी। भारत सचिव भारत के शासन सम्बन्धी मामलों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसी के निर्देशन के अनुसार गवर्नर जनरल को कार्य करना पड़ता था। सन् 1919 के एक्ट के द्वारा गृह सरकार में परिवर्तन लाया गया जो निम्नलिखित है –

भारत सचिव

1919 के अधिनियम में यह बतलाया गया कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी एवं केन्द्र की विधायिका सभा में निर्वाचित लोगों का बहुमत होगा।

1) प्रांतों में उत्तरदायी शासन के प्रारम्भ को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रांतों को केन्द्र से हटाकर सौंपी गई शक्तियों को विस्तृत किया गया और उन्हें कानूनी रूप दिया गया। अतएव केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों में भेद किया गया और प्रांतों को प्रांतीय विषयों के प्रशासन के लिए अधिक

स्वायत्तता प्रदान की गई।

(2) उत्तरदायी शासन को आरंभ करने के लिए प्रांतीय विषयों को दो समूहों में बांटा गया जो आरक्षित (reserved) और हस्तांतरित (transferred) कहलाए तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित मंत्रियों को सौंपा गया जो अपनी नीति व शासन कार्यों के लिए प्रांतीय विधान-परिषदों के प्रति उत्तर-दायी बनाए गए। आरक्षित विषयों का प्रशासन केवल कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के हाथों में कायम रहा। यही पद्धति दोहरी शासन-प्रणाली (dyarchy) के नाम से विख्यात हुई।

(3) प्रांतीय विधान-परिषदों की सदस्य संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गई। प्रत्येक में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्रदान किया गया और उनके निर्वाचन के लिए मताधिकार को इस प्रकार विस्तृत किया गया कि देश की साधारण जनता का एक सारपूर्ण भाग राजनीतिक क्षेत्र में आ गया।

(4) केन्द्रीय शासन में उत्तरदायी शासन बिल्कुल भी नहीं लागू किया गया। परिणामस्वरूप केन्द्रीय शासन पूर्ववत मनमाना और सर्वथा नौकरशाही के नेतृत्व में रहा। इस प्रकार केन्द्रीय शासन भारत मंत्री के द्वारा ब्रिटिश

ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी बना रहा, किन्तु नए संविधान के अन्तर्गत गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाने की व्यवस्था की गई।

5) केन्द्रीय विधान मंडल के दो सदन के आधार पर पुनः संगठित किया गया। ऊपर वाले सदन को राज्य परिषद (Council of States) और नीचले सदन को केन्द्रीय असेम्बली (Central Legislative Assembly) कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और दोनों सदनों के लिए चुनाव प्रत्यक्ष रखे गए, किंतु मताधिकार केवल बहुत ही सीमित निर्वाचन-मंडलों को प्रदान किया गया। इस प्रकार केन्द्रीय विधान मंडल की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

6) भारत मंत्री और ब्रिटिश पार्लियामेंट के भारतीय शासन-संबंधी विषयों पर नियंत्रण में कुछ कमी हुई। साथ ही, इंग्लैंड में भारत सरकार के प्रतिनिधि का एक नया पद आयात किया गया। यह पदाधिकारी 'भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner)' कहलाया और इसे वे कार्य सौंपे गए जिन्हें पहले भारतमंत्री भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किया करता था।

7) गवर्नरों और गवर्नर-जनरल को अनेक विशेषाधिकार व शक्तियाँ मिलीं, जिनका उपयोग वे मामलों को अधिनियम के विषयों से व्यापक रूप से कर सकते थे।

8) इस सुधार योजना में साम्प्रदायिक पद्धति को कायम ही नहीं रखा गया वरन् उसे विस्तृत किया गया।

9) यद्यपि प्रांतों को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, किन्तु वे अब भी केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि बने रहे। इस संविधान के अन्तर्गत देशी रियासतों की स्थिति व पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि 1921 में नरेन्द्र मण्डल (Chamber of Princes) की स्थापना हुई।

10) नए संविधान में एक लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना की गई और इसमें एक प्रावधान यह भी था कि नए संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष के भीतर एक स्टेच्युटरी आयोग नियुक्त किया जाए, जो नयी सुधार योजना के कार्यान्वित रूप की जाँच करके नए सुधारों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट दे।

मोंटफोर्ड सुधार योजना की गहन

दल के नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया, यद्यपि नरम दल के नेताओं ने इसका स्वागत भी किया। एनी बेसेन्ट ने कहा कि मोन्टफोर्ड रिपोर्ट की सुधार योजना ऐसी थी जिसका इंगलैंड की ओर से प्रदान किया जाना और भारत द्वारा स्वीकार किया जाना अनुचित था।